2016/00038 (39)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बसईनबाब)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–15/2016

1–महेन्द्रसिह । पुत्रगण छत्रपाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम जाति
2–पीतमसिह । लोधा निवासीगण ग्राम नंदपुरा तहसील सैपउ जिला धौलपुर
3–फूलसिह ।
4–हरीसिह ।

––––––––वादीगण

बनाम

1–हुकमसिह पुत्र श्री देवकीनंदन। जातिगण लोधा निवासीगण नदंपुरा
2–लोंगश्रीदेवी पत्नी कोकसिह । तहसील सैपउ जिला धौलपुर।
3–रामरती पत्नी गोपीचंद जाति त्यागी निवासी नंदपुरा तहसील सैपउ जिला धौलपुर ।
4– पंजाब नेशनल बैंक भाखा प्रबन्धक बसईनबाव तामील जरिये प्रबन्धक सैंपऊ
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ –––––– प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री सुरेन्द्रकुमार दुवे एडवोकेट– वादीगण

निर्णय दिनांक: 06.07.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 791 रकवा 1 वीघा 19 बिस्बा वाके ग्राम नन्दपुरा तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया गया । पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 4.6.2016 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषक वादीगण को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड तथा पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नन्दपुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1–हुकमसिंह पुत्रश्री देवकीनन्दन कौम लोधा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील सैपऊ राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	791/2	0.19	पश्चिम
कुल	01	0.19	

2–हुकमसिंह पुत्रश्री देवकीनन्दन हिस्सा 1/2 राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब एवं महेन्द्रसिंह, पीतमसिंह, फूलसिंह व हरीसिंह पिसरान छत्रपाल हिस्सा 1/2 जाति लोधा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	791/1	0.01	उत्तर
कुल	01	0.01	

3–लोंगश्री देवी पत्नी कोकसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील सेपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	791/4	0.02	पूरव मध्य में
कुल	01	0.02	

4–रामरती पत्नी गोपीचन्द जाति त्यागी निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील सेपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1	791/5	0.06	पूरव दक्षिण
कुल	01	0.06	

5–महेन्द्रसिंह, पीतमसिंह,फूलसिह व हरीसिंह पिसरान छत्रपाल निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील सेपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1	791/3	0.11	उत्तर पूरव

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

कुल 01 0.11

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ